IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 19, Issue 12, Ver. 6 (Dec. 2014) 69-71
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

अर्थशास्त्र में वर्णित पर्यायवरण सचेतता: एक विश्लेषण

डॉ. आलोक कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Email: alok.dsmru@gmail.com

आज के आधुनिकीकरण तथा भूमंडलीकरण के दौर में 'पर्यावरण सचेतता' अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का मुद्दा बन चुकी है। आज पर्यावरण प्रदूषण एक विश्वव्यापी ज्वलंत समस्या है, जिसके निदान के लिए व्यक्ति से लेकर राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। "कौटिल्य अर्थशास्त्र" प्राचीन भारत में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का एक आदर्श ग्रन्थ माना जाता है परन्तु इसके सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट होता है कि महान विचारक कौटिल्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी गंभीर रूप से सचेत थे। उन्होंनें राजा तथा उसके अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न केवल आवश्यक कदम उठायें बल्कि जन सामान्य को भी प्रोत्साहित करें एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वालों को दंडित भी करें।

कौटिल्य ने अपने वर्णन में 'जनपद' के विकास, गृह निर्माण एवं बसावट के क्रम में पर्यावरण संरक्षण का पूरा ख्याल रखा है। उन्होंने ऊसर भूमि के सुधार, जल प्रबंधन एवं वनस्पतियों के रोपण तथा संरक्षण पर यत्र-तत्र आवश्यक निर्देश दिये हैं। उनके इन विचारों और निर्देशों को तत्कालीन समय में निश्चय ही मान्यता मिली होगी तथा राजा, कर्मचारी/अधिकारी एवं प्रजा सभी पर्यावरण संरक्षण के प्रति काफी सचेत रहे होंगे। कौटिल्य ने 'जनपद-निवेश' नामक अध्याय में निर्देश दिया है कि गांवों की सीमाओं पर जंगल, बेर वृक्ष, सेमल के वृक्ष, शमी के वृक्ष और बरगद आदि के वृक्ष लगाने चाहिए।[1] वनस्पतियों का रोपड़ स्थान-विशेष में करने के लिए आवश्यकताओं एवं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इनका चुनाव किया जाता था। इस आधार पर उनको सीमा वृक्ष, तपोवन, श्मसान, चैत्यवन, पुरोपवन, राजवन आदि स्थानपरक नामों से अर्थशास्त्र में उल्लिखित किया गया है।[2] इसी प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से आवास के चारों ओर कंटकित एवं विषैली लताओं को लगाया जाता था। मार्गों एवं विश्राम स्थलों पर छायावृक्ष लगाये जाते थे और उनको काटना अपराध माना जाता था।[3] उपरोक्त से स्पष्ट है कि आज जिस प्रकार 'पर्यावरण की सचेतता' के चलते छायादार वृक्षों के रोपण एवं संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है एवं वृक्ष काटना एक अपराध भी घोषित किया जा चुका है ऐसी ही पहल एवं जागरूकता हमें 'अर्थशास्त्र' में दिखाई देती है।

आज 'ऊसर भूमि' पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या बन गयी है तथा सरकारें समय-समय पर 'ऊसर भूमि सुधार' के लिए कार्यक्रम भी चलाती रहती है। ऊसर भूमि को उपयोगी बनाने हेतु कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में 'भूमिच्छिद्र विधानम्' नामक अध्याय में निर्देश दिया है कि ऊसर भूमि में पशुओं के लिए चारागाह बनानी चाहिए।[4] आज पर्यावरण चेतना के चलते वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 'आरक्षित वन क्षेत्र' घोषित किये गये हैं। अर्थशास्त्र में भी इसी प्रकार वन क्षेत्र संरक्षण के लिए राज्य को कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। अर्थशास्त्र में कहा गया है-जिस भूमि को वृक्ष, लता एवं मृग आदि के लिए छोड़ दिया गया हो, ऐसे दो कोस तक फैले हुए जंगल को वेदाध्यायी ब्राहमणों को वेदाध्ययन एवं सोमयाग के लिए दे देना चाहिए।[5] आगे वह लिखते हैं - ऐसे ही दो कोस परिमाप के मृगवन' राजा अपने विहार के लिए तैयार करायें। उस विहार वन के दो दरवाजे हों, उसके चारों ओर खुदी हुई खाई हो, उसमें स्वादिष्ट फल, लता गुल्म एवं वृक्ष हो, वह कॉटेदार पेडों से रहित हो, उसमें कम गहरे सरोवर हो।[6] आगे फिर लिखते है - उसके समीप ही दूसरा मृगवन ऐसा तैयार कराया जाये जिसमें देश देशांतरों के जानवर लाकर रखे गये हों।[7] इसी प्रकार की व्यवस्था आज 'संरक्षित वन्य क्षेत्र' एवं अभ्यारण्यों के विकास में देखी जाती है।

राज्य में वनीकरण को एक नीति के रूप में बताते हुए 'अर्थशास्त्र' में कहा गया है कि 'कुप्याध्यक्ष प्रकरण में निर्दिष्ट चंदन, पलाश, अशोक आदि लकड़ी के अलग-अलग वन बसाये जायें। लकड़ी के जंगलों की संपूर्ण व्यवस्था जंगलों के अध्यक्ष तथा जंगलों पर जीवन बिताने वाले पुरूष करें।[8] अर्थात वनों की संरक्षा का दायित्व राज्य अधिकारियों के साथ-साथ जंगल में रहने वाली जनजातियों एवं वनों पर जीवन निर्वाह करने वाले जनसमुदाय पर छोड़ा गया।

'अर्थशास्त्र' में यह भी कहा गया है कि 'जनपद की सीमा पर जंगल के अध्यक्षों के संरक्षण में एक 'हस्तिवन' भी स्थापित करना चाहिए। 'हस्तिवन' के अध्यक्षों को आवश्यक है कि वे स्वयं तथा अपने सहयोगी वनपालों के सहयोग से पर्वत, नदी, जलाशय तथा किसी जलाशय स्थान से होकर हस्तिवनों के अंदर जाने वाले मार्गों की भली-भाँति देख-रेख करें। हाथियों को मारने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राणदण्ड की सजा मिलनी चाहिए।[9] कौटिल्य द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण का दायित्व 'सुनाध्यक्ष' नामक पदाधिकारी को सौंपा गया था। 'सुनाध्यक्ष' नामक अध्याय में उसके कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कौटिल्य कहते हैं- 'सरकारी जंगलों या ऋषियों के आश्रमों में रहने वाले ऐसे मृग, गैंडा, मोर, भैंसा तथा मछलियां, जिनको मारने, पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई भी व्यक्ति उनको मारे, पकड़े या क्षति पहुँचाये तो 'सून का अध्यक्ष उसे उत्तम साहस का दण्ड दिलाये। यदि कोई राजपरिवार का व्यक्ति भी इस आज्ञा का उल्लघंन करे तो उसे मध्यम साहस का दण्ड देना चाहिए।

'पक्षी और मछली जैसे अहिंसक प्राणियों को पकड़ने, प्रहार करने या मारने वाले व्यक्ति को पौने सत्ताईस पण का दण्ड दिया जाये। जो व्यक्ति मृग और पशुओं का वध करे उसको दुगुना दण्ड दिया जाये।[11] 'समुद्र में पैदा होने वाले हाथी, घोडे, बैल, गधा आदि की आकृत्ति वाले मत्स्य, सारस आदि जलचर प्राणी, तालाबों, झीलों नदियों एवं नहरों में पैदा होने वाली मछलियां, क्रॉच, भृगराज, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता मदन मैना और बुलबुल, तीतर, बटेर तथा मुर्गा आदि क्रीड़ायोग्य पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। इनको कोई पकडे या मारे तो उसे प्रथम साहस का दण्ड दिया जाना चाहिए।[12]

'अर्थशास्त्र' में 'दण्ड-पारुष्य' नामक तीसरे अधिकरण में पुनः कौटिल्य वन पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन-कानूनों के उल्लघंन पर दण्ड का वर्णन करते हैं, वे कहते हैं-'नगर के बाग-बगीचों में लगे हुए फल-फूल तथा छायादार पेड़ों के पत्ते आदि तोड़ने पर छह पण, छोटी शाखाओं की टहनियों को तोडने पर 12 पण, मोटी शाखाओं को काटने पर 24 पण, तने के ऊपरी स्कंध को काटने पर प्रथम साहस दंड दिया जाये।[13] कहीं भी फली-फूली छायादार झाड़ियों तथा लताओं को काटने पर ऊपर कहे दण्ड का आधा दण्ड दिया जाये। तीर्थस्थानों, तपोवनों और श्मशानों के वृक्षों को काटने पर भी आधा दण्ड दिया जाये, सीमा के पेड़ों, मंदिरों के पेड़ों, राजा की ओर से मुहर लगे पेड़ों और सरकारी पेड़ों को काटने पर दुगुना जुर्माना किया जाये।[14]

आज जल-संकट पर्यावरण की एक भीषण समस्या बन चुकी है एवं 'वर्षाजल के संचयन' के लिए सरकार वाटर हार्वेसिं्टग जैसे प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। सरकार जो कदम उठा रही है अथवा लोगों को 'वर्षा जल संचयन' के लिए जागरूक कर रही है वैसी ही जागरुकता 'अर्थशास्त्र' में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कौटिल्य कहते हैं कि 'राजा को चाहिए कि वह नदियों पर बडे बाँध बनवायें तथा वर्षा ऋतु के जल को भी बड़े-बड़े जलाशयों में भरवा दे।[15] कौटिल्य आगे लिखते हैं कि 'यदि प्रजाजन ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो राजा को चाहिए कि उन्हें जलाशय के लिए भूमि और आवश्यकतानुसार लकड़ी आदि सामान देकर उनका उपकार करें।[16] कौटिल्य कहते हैं कि 'दूसरे की दीवार के सहारे मकान न बनवाया जाये[17] अर्थात् दो मकानों के बीच में खाली स्थान होना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि साधारणतया दो मकानों के बीच में तीन पद का फासला होना चाहिए।[18] गली की ओर एक हाथ (एक किष्कु) नाप की खिडकी बनायी जाये, जिसको यथावसर खोला जा सके।[19] रोशनी आने के लिए खिडकी के ऊपर छोटे-छोटे रोशनदान बनावाये जायें।[20] सब मकानों में पाखाना पाइप, कुँआ, पाठशाला और भोजनशाला अवश्य बनवाने चाहिए। इस नियम का उल्लघंन करने वाले को पूर्व साहस दण्ड दिया चाहिए।[21] 'इसी प्रकार उत्सवों के समय कुल्ले का पानी बाहर निकालने के लिए नालियों और भट्टियों का भी प्रबंध हर मकान में रहना चाहिए।[22]

एक अच्छी जल-निकास प्रणाली पर्यावरणीय जागरूकता का ही घोतक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जल निकास व्यवस्था के लिए समुचित निर्देश देते हुए कहते हैं-प्रत्येक मकान पर तीन पद (सवा फुट) गहरा, प्लेन तथा साफ सुथरा पतला नाला पानी के बहने के लिए दीवार के साथ-साथ अथवा दीवार से अलग बनवाया जाये। इस नियम का उल्लघंन करने वाले पर 50 पण का दण्ड लगाया जाये। 'कूड़ा करकट बहने के लिए वर्षा ऋतु में हर एक नाली खुली रहनी चाहिए। अन्यथा उसको 12 पण का दण्ड दिया जाये।'[23]

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के प्रति सचेतता के पर्याप्त प्रमाण मौजूद है जिन्हें तत्कालीन सरकार एवं समाज ने अपनाया ही होगा। विशेष उल्लेखनीय यह है कि कौटिल्य ने पर्यावरण को क्षति पहुँचाना एक अपराध माना और उसके लिए दण्ड की व्यवस्था भी की, साथ ही राज्य से यह अपेक्षा की कि वह स्वयं तो पर्यावरण संरक्षण का कार्य करे ही साथ ही जनता को भागीदार बनाने के लिए सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ढंग से प्रोत्साहित करें।

संदर्भः

1. 'अर्थशास्त्र प्रकरण-17. अध्याय-1, जनपद निवेश, पृ. 7
2. वही, पृ. 7
3. अर्थशास्त्र प्रकरण-76, अध्याय-19, दण्डपारुष्यम्, पृ. 338.
4. अर्थशास्त्र प्रकरण 18. अध्याय-2, भूमिच्छिद-विधानम्, पृ. 82.
5. वही
6. वही
7. वही
8. वही
9. वही, पृ. 83.
10. अर्थशास्त्र प्रकरण 42, अध्याय-26, सूनाध्यक्ष, पृ. 205.
11. वही
12. वही, पृ. 206.
13. 'अर्थशास्त्र प्रकरण-73, अध्याय-19, दण्डपारुष्यम्, पृ. 337.
14. वही, पृ. 338.
15. 'अर्थशास्त्र प्रकरण-17, अध्याय-1, जनपद निवेश, पृ. 79.
16. वही
17. 'अर्थशास्त्र प्रकरण-64, अध्याय 8 वास्तुकेगृहवास्तुकम्, पृ. 286-87
18. वही
19. वही
20. वही
21. वही
22. वही
23. वही, पृ. 288.